भारत सरकार

पर्यटन मंत्रालय

लोक सभा

लिखित प्रश्न सं. †576

सोमवार, 6 फरवरी, 2023/17 माघ, 1944 (शक)

को दिया जाने वाला उत्तर

सकल घरेलू उत्पाद में पर्यटन उद्योग का योगदान

†576. श्री डी.के. सुरेशः

सुश्री मिमी चक्रवर्तीः

क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान देश के सकल घरेलू उत्पाद में पर्यटन उद्योग के योगदान की मात्रा कितनी है;

(ख) क्या सरकार ने पर्यटन उद्योग के लिए निर्धारित अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है और यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या पर्यटन क्षेत्र ने 2019 में 40 मिलियन नौकरियों का समर्थन किया है जो अब घटकर 29 मिलियन हो गया है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और सरकार द्वारा देश के यात्रा और पर्यटन क्षेत्र को पुनर्जीवित करने का क्या प्रस्ताव है?

उत्तर

पर्यटन मंत्री (श्री जी. किशन रेड्डी)

(क): तीसरे पर्यटन सैटेलाइट अकाउंट (टीएसए) में दिए गए अनुमान के अनुसार 2018-19, 2019-20 और 2020-21 के लिए जीडीपी में पर्यटन का योगदान निम्नानुसार हैः

	2018-19	2019-20	2020-21
जीडीपी में पर्यटन का हिस्सा (% में)	5.02	5.19	1.06

उपर्युक्त अनुमान को राष्ट्रीय अकाउंट सांख्यिकी 2022 का उपयोग करके उद्यतन किया गया है।

(ख): महामारी के पहले वर्ष 2019 के दौरान भारत में 10.93 मिलियन विदेशी पर्यटक यात्राएं (एफटीए) हुए। पर्यटन उद्योग ने कोविड-19 महामारी के बाद पुनरुद्धार के अच्छे संकेत दर्शाए हैं। आप्रवासन ब्यूरो से प्राप्त अद्यतन सूचना के अनुसार भारत में विदेशी पर्यटक यात्राएं (एफटीए) समान अवधि के लिए 2021 के दौरान 1.52 मिलियन की तुलना में 2022 के

दौरान 6.19 मिलियन रहा। इसके अतिरिक्त, देश में घरेलू पर्यटन में भी वृद्धि देखी जा रही है। भारत में 2020 में 610.22 मिलियन की तुलना में 2021 में 677.63 मिलियन घरेलू पर्यटक यात्राएं (डीटीवी) हुई।

पर्यटन मंत्रालय ने विदेशी और घरेलू पर्यटकों को आकर्षित करने हेतु देश में पर्यटन को गति प्रदान करने के लिए विभिन्न कदम उठाए हैं/पहलें शुरू की हैं। जिनका ब्यौरा निम्नानुसार हैः

i. 24x7 टॉल फ्री बहुभाषी पर्यटक हेल्पलाइन।
ii. 165 देशों के नागरिकों के लिए 5 उपश्रेणियों यथा ई-पर्यटक वीज़ा, ई-बिजनेस वीज़ा, ई-मेडिकल वीज़ा, ई-मेडिकल अटेंडेंट वीज़ा तथा ई-सम्मेलन वीज़ा के लिए ई-वीज़ा की सुविधा प्रदान करना।
iii. ई-वीज़ा का और अधिक उदारीकरण किया गया है और वीज़ा शुल्क में उल्लेखनीय कटौती की गई है।
iv. विरासत स्थलों/स्मारकों और अन्य पर्यटक स्थलों पर पर्यटक संबंधी सुविधाओं के विकास और रखरखाव के लिए एक विरासत अपनाएं परियोजना।
v. जिन विशिष्ट उत्पादों में भारत को तुलनात्मक लाभ है, उनमें विशिष्ट रूचि रखने वाले पर्यटकों को आकर्षित करने और उन विशिष्ट उत्पादों के लिए ऐसे पर्यटकों की दोरा यात्रा सुनिश्चित करने के लिए 'निश पर्यटन' का विकास और संवर्धन।
vi. पर्यटन मंत्रालय के सोशल मीडिया हैंडलों और वेबसाइटों के माध्यम से अपने विभिन्न पर्यटन स्थलों और उत्पादों सहित भारत का एक समग्र पर्यटन गंतव्य के रूप में संवर्धन।
vii. बेहतर मानक सेवा प्रदान करने के लिए श्रमशक्ति के प्रशिक्षण और उन्नयन हेतु 'सेवाप्रदाताओं हेतु क्षमता निर्माण' (सीबीएसपी) योजना के तहत कार्यक्रमों का संचालन।
viii. देश में एडवेंचर पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पर्वतारोहण/ट्रैकिंग हेतु नई पर्वत चोटियां खोली गई हैं।
ix. पर्यटन गंतव्य के रूप में भारत की प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाने के लिए 1001 रु. से 7500 रु. प्रति रात्रि के टैरिफ वाले होटल के कमरों पर जीएसटी को घटाकर 12% और 7501 रु. से अधिक के टैरिफ वाले कमरों पर जीएसटी को 18% कर दिया गया।
x. पर्यटन मंत्रालय की सिफारिश पर नागर विमानन मंत्रालय द्वारा आरसीएस उड़ान योजना के तहत चिह्नित एयर लाइनों को 59 पर्यटन रूट सौंपे गए हैं जिसके लिए पर्यटन मंत्रालय ने वीजीएफ (व्यवहार्यता अंतराल वित्तपोषण) के रूप में वित्तीय

सहायता प्रदान की है। अद्यतन स्थिति के अनुसार इनमें से 51 रूटों पर प्रचालन शुरू हो गया है।

(ग) और (घ): तीसरे पर्यटन सैटेलाइट अकाउंट (टीएसए) और आवधिक श्रमबल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) में दिए गए अनुमान के अनुसार 2019-20 के दौरान पर्यटन क्षेत्र में 69.44 मिलियन नौंकरियां थी। वर्ष 2020-21 कोविड-19 महामारी से प्रभावित था। वर्ष 2020-21 के दौरान पर्यटन क्षेत्र में नौकरियों की संख्या 68.07 मिलियन थी।

कोविड-19 महामारी के कारण उत्पन्न कठिनाइयों से उबरने के लिए पर्यटन मंत्रालय "कोविड प्रभावित पर्यटन सेवा क्षेत्र हेतु ऋण गारंटी योजना (एलजीएससीएटीएसएस)" चला रहा है, जिसके तहत पर्यटन मंत्रालय द्वारा अनुमोदित/मान्यता प्राप्त प्रत्येक टूर ऑपरेटर/यात्रा एजेंट/पर्यटक परिवहन ऑपरेटर प्रत्येक को 10.00 लाख रुपए तक का ऋण तथा पर्यटन मंत्रालय द्वारा प्रत्येक अनुमोदित/मान्यता प्राप्त क्षेत्रीय पर्यटक गाइड/अतुल्य भारत पर्यटक गाइड को और राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों द्वारा अनुमोदित/मान्यता प्राप्त पर्यटक गाइडों को 1.00 लाख रुपए तक का ऋण दिया जाता है।

*****